

प्राप्त-पत्र (संलग्नक-6)

उत्ति सुरक्षा प्रमाणपत्र (Public (Private) अ-प्राप्ति प्रमाणपत्र)

मुद्रांकित संख्या : UPFS/2024/133580/HAP/HAPUR/1890/CFO
दिनांक : 26-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स S C M PUBLIC SCHOOL पता VILLAGE UPEDA NH-24 BABUGARH HAPUR
BABUGARH HAPUR, Hapur तहसील - Hapur प्लॉट एरिया 7160.00 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1770.58 (वर्ग
मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 विसरे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बैरामेंट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	7.20 m.

है। भवन का अभिगो मेसर्स S C M PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि विवरण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तलबेधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 01-10-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VIRENDRA KUMAR AGARWAL के साथ किया गया। भवन में अग्निस्थानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अग्निस्थानित पायी गयी। अतः प्रशस्त भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अभिगो श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 04-10-2024 से 04-10-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निप्रामन व्यवस्थाओं का अनुक्षण करते हुए कियागील बनये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निप्रामन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स S C M PUBLIC SCHOOL अभिगो पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स S C M PUBLIC SCHOOL अभिगो पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी।

नगर प्रमाण-पत्र आवेक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, स्वामियों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व एवं जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

Note : अग्निप्रामन द्वितीय अधिकारी की स्वतीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन क.द-18/छ.यु-8-2022/90 (34)/ 2016 /टीसी दिनांक: 07.01.2022 / उठ90 अग्निप्रामन तथा-आगत सेवा अग्निप्रामन-2022 तदधीन विमवावली-2024 के अनुसार एन0बी0सी0निर्गत किया जा रहा है 1-अर्ह अधिकारी से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निप्रामन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभागों की प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक एन0बी0सी0/प्रस्मृत अर्ह एक्सेन्सी से कराया जाय। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो पत्र अन्तर्गति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 04-10-2024
स्थान : HAPUR

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Rahul Pal

AC551D1C1977602518FD17F7DCFB89B10AD96EDA]
04-10-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

amk

Manager

Principal



AnyScanner